

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

“डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफार्म सेवाओं संबंधी परामर्श पत्र” पर टिप्पणियां प्राप्त करने की समय-सीमा को बढ़ाना

नई दिल्ली, 26 सितंबर, 2019 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 28 अगस्त, 2019 को “डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत प्लेटफार्म सेवाओं संबंधी परामर्श पत्र” नाम से ड्राफ्ट विनियम जारी किया है और इस पर हितधारकों से 27 सितंबर, 2019 तक टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

2. हितधारकों के अनुरोध पर टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर क्रमशः 4 अक्टूबर, 2019 की गई है। इसके बाद, टिप्पणियां प्रस्तुत करने की समय-सीमा को और बढ़ाए जाने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. टिप्पणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेल:- [shivanisharma@traf.gov.in](mailto:shivanisharma@traf.gov.in) पर भेजें। प्राप्त टिप्पणियों को भादूविप्रा की वेबसाइट [www.traf.gov.in](http://www.traf.gov.in) पर अपलोड किया जाएगा। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री अरविंद कुमार, सलाहकार (बीएंडसीएस) से टेलीफोन नंबर +91-11-23220209 द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)  
सचिव, भादूविप्रा

**अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।**